

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-181/2013

संस्थित दिनांक-04.03.2013

फाईलिंग क्र.234503002372013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,

तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — —

**अभियोजन**

// विरुद्ध //

महेन्द्र पिता रामनाथ प्रसाद साहू, उम्र—40 वर्ष, जाति तेली,

निवासी—ग्राम मण्डई, थाना—बिरसा,

जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — —

**आरोपी**

// निर्णय //

**(आज दिनांक-04/12/2015 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-25.01.2013 को करीब 5:40 बजे, थाना बिरसा अन्तर्गत ग्राम मंडई में अपनी दुकान के सामने रोड किनारे में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 12 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 720/-रुपये, दो मसाला देशी मदिरा कीमती 60/-रुपये को अवैध रूप से रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरक्षी केंद्र बिरसा में पदस्थ प्रधान आरक्षक सोमलाल कावरे को दिनांक-25.01.2013 को हमराह स्टॉफ आरक्षक क्रमांक-847, 968, 397, 1050 के साथ गश्त करने ग्राम मण्डई की तरफ रवाना हुआ था, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मण्डई में आरोपी महेन्द्र साहू अपनी दुकान में रोड किनारे पुलिया के पास अवैध रूप से अंग्रेजी शराब एवं देशी शराब बेचने के उद्देश्य से अपने कब्जे में रखा है। सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के साथ रवाना हुआ और मौके पर पहुंचा और साक्षी धीरपाल, दलसिंह निवासी ग्राम छपला एवं हमराह स्टॉफ के साथ घेराबंदी कर रेड किये जिस पर आरोपी महेन्द्र साहू के कब्जे से 12 क्वाटर गोवा अंग्रेजी शराब कीमत 720/-रुपये, 2 मसाला देशी शराब कीमती 60/-रुपये रखे हुए पाया गया, जिसके संबंध में आरोपी से लायसेंस पूछे जाने पर आरोपी ने लायसेंस नहीं होना बताया।

आरोपी से उक्त शराब गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-12/13 अंतर्गत धारा-34(1) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए। जप्तशुदा मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया।

3- आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1- क्या आरोपी ने दिनांक-25.01.2013 को करीब 5:40 बजे, थाना बिरसा अन्तर्गत ग्राम मंडई में अपनी दुकान के सामने रोड किनारे में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 12 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 720/-रुपये, दो मसाला देशी मदिरा कीमती 60/-रुपये को अवैध रूप से रखा ?

#### विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- अनुसंधानकर्ता अधिकारी सोमलाल कावरे (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-25.01.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह हमराह स्टॉफ के साथ ग्राम राशत के दौरान ग्राम मण्डई गया था, तो उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी महेन्द्र साहू ग्राम मण्डई में अपनी दुकान के सामने रोड के किनारे पुलिया के पास अवैध रूप से अंग्रेजी एवं देशी शराब बेचने के उद्देश्य से रखा है। उक्त मुखबिर सूचना पर गवाह धीरपाल, दलसिंह और हमराह स्टॉफ के बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर रेड किये और आरोपी के कब्जे से 12 क्वाटर गोवा अंग्रेजी शराब एवं 2 मसाला देशी मदिरा मिली थी। उक्त शराब के संबंध में आरोपी के पास कोई कागजात नहीं थे। उक्त शराब आरोपी से साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-6 क्रमांक-12/2013, धारा-34(1)(ए) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी धीरपाल, दलसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। आरोपी को जमानत

मुचलका की विधिवत् कार्यवाही कराकर जमानत मुचलके पर छोड़ा था। जप्तशुदा शराब को परीक्षण हेतु आबकारी उपनिरीक्षक कार्यालय वृत्त बैहर भेजा था, जिसकी परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर चालान के साथ संलग्न किया है। उसके द्वारा आरोपी महेन्द्र साहू के विरुद्ध में धारा-34(1)(ए) आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर चालान के साथ संलग्न किया गया था।

6— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई जप्ती व अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में अपनी साक्ष्य पेश की है। यद्यपि साक्षी ने उक्त कार्यवाही के समय रोजनामचा सान्हा दर्ज किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं और न ही साक्षी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। साक्षी के द्वारा मामलों में संपूर्ण कार्यवाही अकेले निष्पादित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी की कार्यवाही का अन्य स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा समर्थन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

7— स्वतंत्र साक्षी दलसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी और न ही आरोपी को गिरफ्तार करने के संबंध में कोई कार्यवाही की थी। वह हस्ताक्षर के रूप में अंगूठा लगाता है। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी से पुलिस ने उसके सामने कथित शराब की जप्ती कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार कर उसके गिरफ्तार कर करते हुए गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का कथन दिया था। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

8— अन्य स्वतंत्र साक्षी धीरपाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी से पुलिस ने उसके सामने कथित शराब की जप्ती कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार कर उसके गिरफ्तार कर करते हुए गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार

किया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का कथन दिया था। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

9— आबकारी उपनिरीक्षक अशोक कुमार माहोरे (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-31.01.2013 को आबकारी वृत्त बैहर में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के अपराध क्रमांक-12/13 में जप्त शराब सीलबंद हालत में जिसमें 12 पाव गोवा अंग्रेजी 180 एम.एल. की तथा 2 पाव देशी मसाला मदिरा 180 एम.एल. की परीक्षण हेतु प्राप्त हुई थी। परीक्षण पर उसने 12 पाव विदेशी गोवा मदिरा होना पाया था तथा दो पाव देशी मसाला मदिरा होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार प्रत्येक बोतल की अलग-अलग जांच नहीं की थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसे कथित जांच हेतु भेजा गया तरल पदार्थ मदिरा होना पाया था। यद्यपि साक्षी ने यह नहीं बताया कि उसे किस पुलिस थाना या पुलिस अधिकारी के माध्यम से कथित तरल पदार्थ जांच हेतु प्राप्त हुआ। साक्षी ने यह भी नहीं बताया कि उसे परीक्षण हेतु पदार्थ कब प्राप्त हुआ। साक्षी ने प्रत्येक बोतल के अलग-अलग जांच नहीं किया जाना भी प्रकट होता है। ऐसी दशा में इस मामले में जप्तशुदा तरल पदार्थ की ही जांच कर कथित प्रतिवेदन पेश किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

10— प्रकरण में जप्ती अधिकारी सोमलाल कावरे (अ.सा.3) के द्वारा जप्ती, गिरफ्तारी, प्राथमिकी दर्ज किये जाने की कार्यवाही के साथ संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही की गई है। इस प्रकार अभियोजन मामले में संपूर्ण कार्यवाही एक ही पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई है। ऐसी दशा में उसके द्वारा की गई कार्यवाही का सूक्ष्मता से विवेचना साक्ष्य में किया जाना आवश्यक है। जप्ती अधिकारी व अनुसंधानकर्ता के रूप में की गई कार्यवाहियों का समर्थन अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। मामले में जप्तशुदा कथित तरल पदार्थ की विधिवत् आबकारी उपनिरीक्षक से जांच किया जाना भी प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी दशा में एकमात्र विवेचक के द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही, जिसका अन्य साक्षीगण से समर्थन प्राप्त नहीं होने से तथा जप्तशुदा तरल पदार्थ की ही जांच कराकर प्रतिवेदन पेश किया जाना प्रमाणित न होने से आरोपी के विरुद्ध



मामला संदेहास्पद प्रकट होता है।

11— आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में निर्णय दिनांक-04.10.10 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है, किन्तु उसे प्रदर्श नहीं किया गया है। यदि तर्क के लिए आरोपी की पूर्व दोषसिद्धि को मान भी लिया जाए, तो भी इस मामले में आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित न करने से उक्त पूर्व दोषसिद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

12— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 12 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 720/-रूपये, दो मसाला देशी मदिरा कीमती 60/-रूपये को अवैध रूप से रखा। फलस्वरूप आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1) के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा तरल पदार्थ अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावें अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट